UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Economics
Research Link - 161, Vol - XVI (6), August - 2017, Page No. 107-109
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2012 का निर्धन परिवारों पर प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (बालोद जिले के संदर्भ में)

प्रस्तुत शोधपत्र में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2012 का निर्धन परिवारों पर प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन, बालोद जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। शोधपत्र में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2012 के प्रावधानों का अध्ययन किया गया है। साथ ही निर्धन परिवारों की खाद्य उपलब्धता पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन एवं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2012 का परिवारों की खाद्यान्न की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धता पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु प्राथमिक समंकों का संकलन 390 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त किया गया है। प्राथमिक समंकों का संकलन छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले की पाँच तहसील के परिवारों से किया गया है। अध्ययन के आधार पर सुझाव दिये जा सकते हैं कि, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की सही ढंग से पहचान कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर राशन कार्ड जारी करना चाहिए, ताकि कोई भी गरीब खाद्य सुरक्षा से न छूट पाए। दाल, चना एवं गेहूँ के वितरण को पुनः चालू किया जाना चाहिए। शासकीय उचित मूल्यक की दुकान में अन्य जरुरत के सामान जैसे खाद्य तेल, सोयाबीन, दलिया, दूध आदि रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

मोतीलाल सिन्हा* एवं डॉ. आनंद कुमार विश्वकर्मा**

खाद्य सुरक्षा का आशय है कि लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पोषणयुक्त आहार प्राप्त हो सके। जिससे वह स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जी सके। परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा का आशय है कि उसके परिवार में कोई भूखा न हो, सभी को पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त आहार प्राप्त हो सके।

खाद्य सुरक्षा की माप उसके भविष्य की बाधाएँ, बाढ़, अकाल, सूखा, प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, भूकंप, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता के समय जीवन के प्रतिकूल समय में पोषणयुक्त आहार प्राप्त करने से है।

वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। आज खाद्य सुरक्षा भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों की पहुँच के अलावा संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रखरखाव तक जा पहुँचा है। लोगों को जीवन के किसी भी पड़ाव पर खाद्य संकट का भय न हो। खाद्य असुरक्षा की स्थिति में सहायता मिल सके।

सभी लोग समय पर शारीरिक बनावट के अनुसार खाद्य प्राप्त कर सकें, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य से है। लोगों के पास खाद्य सुरक्षा होगी, तो उनके स्वास्थ्यगत व्यय में कमी आएगी एवं उसके उत्पादकता में वृद्धि होगी। जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी, जिसका उपयोग वह बेहतर जीवन यापन करने में, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार में या परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं पर खर्च करेगें, जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने में मदद मिलेगी।

विश्व के अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में गरीबी, भूखमरी एवं कुपोषण का मुख्य रोजगार की कमी, अशिक्षा, तीव्रगामी से बढ़ती जनसंख्या, कृषि क्षेत्र की दीन स्थिति एवं आर्थिक विकास की धीमी गति, आधारभूत संसाधनों की कमी एवं भ्रष्टाचार है।

खाद्य सुरक्षा के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत, रोजगार मूलक कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं विशेष रूप से महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर बल देने की जरूरत है।

खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य का उत्पादन, खाद्य की उपलब्धता, भण्डारण एवं खाद्य के समुचित वितरण की जरूरत है।

अध्ययन के उद्देश्य :

(1) छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों का अध्ययन करना।

(2) निर्धन परिवारों की खाद्य उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

(3) छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 का परिवारों की खाद्यान्न की भौतिक एवं आर्थिक उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

(4) अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर उपयुक्त सुझाव देना।

**शोध छात्र, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)*
***प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)*

परिकल्पना :

(1) शून्य परिकल्पना (H0) : छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं निर्धन परिवारों की खाद्य उपलब्धता के मध्य सार्थक संबंध नही है।

(2) वैकल्पिक परिकल्पना (H1) : छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं निर्धन परिवारों की खाद्य उपलब्धता के मध्य सार्थक संबंध है।

उपर्युक्त उद्देश्यों के आधार पर निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :

बालोद जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों से उनकी परिवारिक विवरण, आय–व्यय, कृषि, उपभोग प्रवृति, खाद्य उपभोग, स्वास्थ्य, पेयजल, जागरूकता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे मे जानकारी एकत्र कर विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन पद्धति :

प्राथमिक समंक : प्राथमिक समंकों का संकलन 390 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त किया गया है। प्राथमिक समंकों का संकलन छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले की पाँच तहसील के परिवारों से किया गया। प्रत्येक तहसील से दो गाँवों का चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन के आधार पर चयन किया गया। बालोद तहसील के 119 परिवारों का, डौण्ड़ी तहसील के 71 परिवारों का, डौण्ड़ी लोहारा तहसील के 58 परिवारों, गुरूर तहसील के 73 परिवारों का एवं गुण्ड़रदेही तहसील के 69 परिवारों का चयन किया गया है।

समंकों का प्रबंधन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण :

सहसंबंध गुणांक : आर्थिक क्षेत्र में दो या दो से अधिक समंक श्रेणियों में परस्पर संबंध पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन होता है। सहसंबंध के मूल सिद्वातों का प्रतिपादन खगोलशास्त्री ब्राते ने किया, परंतु इसको आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन तथा कार्ल पियर्सन को है। दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने, उसमें पारस्परिक संबंधों का विवेचन करने तथा पूर्वानुमान लगाने में सहसंबंध का उपयोग किया जाता है।

अध्ययन हेतु कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक का उपयोग किया गया है।

प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खाद्य पदार्थो की कुल उपलब्धता एवं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की कुल ऊर्जा के मध्य सहसंबंध गुणांक निकाला गया है।

टी .परीक्षण : यादृच्छिक प्रतिदर्श के सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण करने के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। टी परीक्षण द्वारा परिकल्पना की जांच की जाती है कि परिकल्पना सत्य है या नही।

स्वातन्त्रय कोटियों की संख्या $df = n - 2$

r = सहसम्बन्ध गुणांक

प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खाद्य पदार्थो की कुल उपलब्धता एवं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की कुल ऊर्जा के मध्य सहसंबंध गुणांक का सार्थकता परीक्षण किया गया है।

बालोद जिले में खाद्य सुरक्षा की स्थिति : अध्ययन के लिए प्राथमिक समंकों का उपयोग किया गया है। बालोद जिले में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति जानने के लिए साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया है।

प्रतिदर्श परिवारों में प्रतिदिन की खाद्य उपलब्धता :

प्रतिदर्श परिवारों में ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत चावल है। प्रतिदर्श परिवारों में चावल का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है।

तालिका 1 : प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाद्य की उपलब्धता (ग्राम में)

सामग्री	तहसील				
	डौण्डी	डौण्डी लोहारा	बालोद	गुरूर	गुण्डरदेही
	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य की उपलब्धता	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य की उपलब्धता	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य की उपलब्धता	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य की उपलब्धता	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्य की उपलब्धता
चावल	428	429	400	432	397
गेहूँ	18.33	23	21.81	53	36.06
दाल	22.23	28.57	27.269	22.13	36.86
सब्जी	229.99	208.47	148.44	138	200.96
तेल	25	25.47	25	25	26
मसाला	24.13	18	27.259	10.33	38.623
नमक	17.9	14.3	21.81	8.67	24.52
दूध	10.6	2.633	4.21	9.13	9.94
शक्कर	26.15	15.133	31.776	21.07	41.23
फल	5.89	2.38	15.81	11.33	26.76
अण्डा	0.95	1.43	3.589	2.21	11.23
मछली	12.48	15.13	15.58	7.66	14.58
मांस	7.766	5.7	13.71	9.1	9.135

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

तालिका 2 : प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की औसत ऊर्जा (किलो कैलोरी में)

सामग्री	तहसील				
	डौण्डी	डौण्डी लोहारा	बालोद	गुरूर	गुण्डरदेही
	प्रतिदिन की ऊर्जा	प्रतिदिन की ऊर्जा	प्रतिदिन की ऊर्जा	प्रतिदिन की ऊर्जा	प्रतिदिन की ऊर्जा
चावल	1493.72	1497.21	1396	1508.58	1385.3
गेहूँ	62.68	78.43	74.37	180.73	122.96
दाल	74.471	77.05	91.35	74.124	123.481
सब्जी	137.95	125.082	89.09	82.8	120.576
तेल	225	233.55	225	225	234
मसाला	72	54	84.23	32	119.35
नमक	0	0	0	0	0
दूध	28.09	6.978	11.157	24.203	26.34
शक्कर	104	60.23	126.47	83.8586	164.49
फल	6.83	2.76	18.34	13.1428	31.042
अण्डा	1.643	2.5883	3.91	3.82	19.428
मछली	35.81	18.7612	19.32	9.50	18.097
मांस	8.465	6.213	14.94	9.92	9.957
योग	**2250.659 कि. कै.**	**2162.85 कि. कै.**	**2154.147 कि. कै.**	**2247.69 कि. कै.**	**2375.003 कि. कै.**

स्त्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण।

डौण्डी तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की ऊर्जा 2250.659 किलो कैलोरी है। डौण्डी लोहारा तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की ऊर्जा 2162.85 किलो कैलोरी है। बालोद तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की ऊर्जा 2154.147 किलो कैलोरी है। गुरूर तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की ऊर्जा 2247.69 किलो कैलोरी है। गुण्डरदेही तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की ऊर्जा 2375.003 किलो कैलोरी है। डौण्डी तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रोटीन प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 57.55 ग्राम एवं वसा 25 ग्राम ग्रहण किया जाता है। डौण्डी लोहारा तहसील में प्रतिदर्श परिवरों में प्रोटीन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 58.57 ग्राम एवं वसा 25.95 ग्राम ग्रहण किया जाता है। बालोद तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन 57.90 ग्राम एवं वसा 25 ग्राम ग्रहण किया जाता है। गुरूर तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन 62.93 ग्राम एवं वसा 25 ग्राम ग्रहण किया जाता है। गुण्डरदेही तहसील में प्रतिदर्श परिवारों द्वारा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन 65.70 ग्राम एवं वसा 26 ग्राम ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदर्श परिवारों द्वारा सबसे अधिक प्रोटीन गुण्डरदेही तहसील में उपयोग किया जाता है। वसा का सबसे अधिक उपयोग गुण्डरदेही तहसील में उपयोग किया जाता है।

सह संबंध गुणांक : छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं निर्धन परिवारों की खाद्य उपलब्धता के मध्य उच्चस्तरीय धनात्मक सहसंबंध गुणांक पाया गया, जिसका कार्ल पिर्यसन सहसंबंध गुणांक 0.837 है।

टी–परीक्षण : टी–परीक्षण के लिए पाँच तहसील के प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की कुल खाद्य उपलब्धता एवं ऊर्जा की कुल मात्रा के बीच टी परीक्षण किया गया। टी–परीक्षण 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 3 स्वातंत्रय कोटियों के t 0.5 का सारणी मान 3.182 है। t का परिकल्पित मान 4.836 है, जो सारणी मान से अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं निर्धन परिवारों की खाद्य उपलब्धता के मध्य सार्थक संबंध है। इससे निर्धन परिवारों की खाद्य उपलब्धता बढ़ी है।

खाद्य सुरक्षा आज गरीबों के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लोगों को पोषण युक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त हो पा रहा है। इससे उनके पोषण स्तर में सुधार हुआ है एवं स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इस अधिनियम के लागू होने से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं :

(1) इस अधिनियम के लागू होने से खाद्य उपलब्धता बढ़ी है। (2) पोषण स्तर में सुधार हुआ है, जिससे कुपोषण दूर करने में मदद मिल रही है। (3) मातृत्व मृत्युदर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आयी है। (4) खाद्य के लिए पलायन में कमी आयी है। (5) लोगों की आय बढ़ी है। (6) लोगों की बचत बढ़ी है। (7) आंगनबाड़ी से प्राप्त होने वाले पोषाहार से बच्चों एवं माताओं में कुपोषण दूर करने मे मदद मिली है। (8) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से बच्चों मे कुपोषण दूर करने में मदद मिली है।

सुझाव :

(1) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की सही ढंग से पहचान करना एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर राशन कार्ड जारी करना चाहिए, ताकि कोई भी गरीब खाद्य सुरक्षा से न छूट पाए।

(2) दाल, चना एवं गेहूँ के वितरण को पुनः चालू करना चाहिए।

(3) शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अन्य जरूरत के समान जैसे खाद्य तेल, सोयाबीन, दलिया, दूध आदि रियायती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतर्गत वितरित सामग्रियों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित सामग्रियों की गुणवत्ता पर खास ध्यान देना चाहिए।

(6) आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित पोषाहार की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए।

(7) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को मेनू के आधार पर लागू करवाना चाहिए।

(8) किसानों को आर्थिक सहायता देना चाहिए।

(9) सिंचाई साधनों का विकास करना चाहिए।

(10) आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य करना चाहिए।

संदर्भ :

(1) Panth, Ananth S. (2012) : "Food security for the rural poor in india ; a case study of karnatka" (Thesis, Jawaharlal Nehru University New Delhi)

(2) Ananda D. (2012) : "State response to food security ; a study of the public distribution system in anantpur district of Andhra pradesh" (Thesis of Hydrabad University).

(3) Kamalkkannan M. (2010) : "Food security in tamilnadu with a special refrence to tiruchirappalli district" (Thesis, Bharathidasan University).

❁ ❁